

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क०नि०-2-1110/ ग्यारह-9 (47)/17-उ०प्र०अधि० 2017 -आदेश-(36)-2017

लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2017

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के असाधारण सरकारी गज़ट में प्रकाशित संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-837/ ग्यारह-9(47)/17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश-(07)-2017 दिनांक 30 जून, 2017 में,-

(अ) हिन्दी पाठ में, --
अनुसूची में,-

- (i) क्रम सं० 59, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "9" के स्थान पर "7, 9 या 10" पढ़ा जाये;
- (ii) क्रम सं० 102, स्तंभ (2) में, प्रविष्टि "2302", के स्थान पर "2301, 2302" पढ़ा जाये ।

(ब) अंग्रेजी पाठ में,-

In the Schedule,-

- (i) in S.No.59, in column (2), for "9", read "7, 9 or 10";
- (ii) in S.No.102, in column (2), for "2302", read "2301, 2302".

आज्ञा से,



(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव ।

